कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण खण्ड
हापुड
कार्यालय–आदेश

पत्रांक /ऊगंनआखहा/ दिनांक

इस कार्यालय के पत्र संख्या 1497/ऊगनआखहा/नोटिस/पी0एफ0 दिनांक 07.10.2016 के द्वारा श्री सोनू चौकीदार पुत्र स्व0 श्री काटुराम आवास संख्या डी–29 कैनाल कम्पाउड़ रूडकी, जिला हरिद्वार को अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान मेरठ से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 03.12.2014 से 07.10.2014 तक लगभग 23 माह के कार्याकाल में मात्र 06 माह 29 दिवस ही कार्यालय में उपस्थित रहे। दिनांक 01.04.2016 को इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सहानभूतिपूर्वक विचार करते हुए जिसमें इन्होने अपनी पारावारिक स्थिति ठीक न होने के कारण तथा भविष्य में ऐसी पुनर्रावृत्ति न दोहराने पर इनको कार्य पर योगदान करा लिया गया था। तथा श्री सोनू पुनः 01.05.2016 से 07.10.2016 तक अपने कार्य से अनुपस्थित रहे । इस सम्बन्ध में आपके पते पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से अनेको बार अन्तिम नोटिस भेजे जा चुके है। परन्तु आप अपने कार्य पर उपस्थित नही हुए है। जिसके उपरान्त उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सूचना निदेशक,सूचना एवं जन सर्म्पक विभाग, सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ के माध्यम से आपको अपने कार्य पर 15 दिवस के अन्दर उपस्थित होने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी है। जिसमे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि आप 15 दिवस के अन्दर कार्यालय में उपस्थित नही होते है तो आपकी सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

इसके उपरान्त भी श्री सोनू चौकीदार आज दिनांक 26.12.2016 तक अपनी डयूटी् पर उपस्थित नही हुए है। जिससे प्रतीत होता है कि श्री सोनू चौकीदार को अनुकम्पा के आधार पर दी गयी नियुक्ति की कोई आवश्यकता नही है। उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली–1956 के अर्न्तगत शासनादेश संख्या 6036/दो–ख–147–1962 दिनांक 12 फरवरी 1963 एवं शासनादेश संख्या 20/1/72–नियुक्ति–3 दिनांक 10 अगस्त 1972 में दिये गये प्राविधानानुसार श्री सोनू चौकीदार पुत्र स्व0 श्री काटुराम आवास संख्या डी–29 कैनाल कम्पाउड़ रूडकी, जिला हरिद्वार की सेवा आज दिनांक 26.12.2016 से तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण खण्ड
हापुड

पत्रांक / ऊगंनआखहा / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख अभियन्ता(का0प्र0अनु0–3) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता(कम्प्यूटर केन्द्र) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता गंगा नहर संचालन मण्ड़ल मेरठ।
5. श्री सोनू चौकीदार पुत्र स्व0 श्री काटुराम आवास संख्या डी–29 कैनाल कम्पाउड़ रूडकी, जिला हरिद्वार

अधिशासी अभियन्ता
ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण खण्ड
हापुड